संख्या-105/2026/आई/1371880/2026/001-23-14099(099)/3/2026

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक- 22 जून, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य में शहरी सड़कों पर पेविंग और हरियाली (ग्रीनिंग) के लिए स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को लागू करने हेतु प्रोजेक्ट फीस धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक CSIR-CRRI निदेशक के पत्र दिनांक 12.06.2026 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-250/बी0जी0जी0जी0/7बी0 मांग प्रस्ताव(एमओयू)/2026-27, दिनांक 16.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 राज्य में शहरी सड़कों पर पेविंग और हरियाली (ग्रीनिंग) के लिए स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को लागू करने हेतु प्रोजेक्ट फीस रू0 14,54,94,000 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) CSIR-CRRI के पक्ष में भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक–5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-0700-नई तकनीकी का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकि की परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन इत्यादि हेतु व्यवस्था 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 14,54,94,000 (रूपये चौदह करोड़ चौवन लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली (CSIR-CRRI) को निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 स0	जनपद/खण्ड का नाम	मद	प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ	बेसिक प्रोजेक्ट कास्ट	12,33,00,000	12,33,00,000
2		जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	2,21,94,000	2,21,94,000
		CSIR-CRRI को कुल भुगतान का योग	14,54,94,000	14,54,94,000

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) मुख्यालय द्वारा सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली (CSIR-CRRI) के उक्त प्रस्ताव का स्वस्तर से नियम व शर्तों के आलोक में परीक्षण करते हुए संस्तुत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) मुख्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व औचित्य का स्वस्तर पर परीक्षण कर लेंगे तथा प्रकरण में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व मुख्यालय का होगा।

(4) मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण हेतु प्रस्तावित धनराशि को आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रायोजन/कार्यों हेतु पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

(5) मुख्यालय प्रश्नगत बिलों की पूर्व में दी गयी सहमति से मिलान करना सुनिश्चित करेगें, जिससे कि बिलों के भुगतान में द्विरावृत्ति न हो।

(6) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता / ऑडिट प्रस्तर के संबंध में मुख्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(9) मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

(10) मुख्यालय द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,54,94,000 (रुपये चौदह करोड़ चौवन लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000700 नई तकनीकी का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकी की परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन इत्यादि हेतु व्यवस्था **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
दिव्य प्रकाश गिरि
सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।

4- निदेशक, सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली (CSIR-CRRI) को उनके पत्र संख्या- CRRI/CAQM/UP/2026(4), दिनांक 12.06.2026 के क्रम में ।

5- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।

6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन ।

8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवंटित धनराशि सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली (CSIR-CRRI) के संगत खाते में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दिव्य प्रकाश गिरि
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।